राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 00994/2023

महेश चंद मीणा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये प्रमुख शासन सचिव, सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), दौसा।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, प्राथमिक, दौसा।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 22.02.2023
आदेश की दिनांक : 21.04.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री नितेश दाधीच, अभिभाषक
प्रत्यर्थीगण की ओर से :

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में अध्यापक लेवल–2 (गणित/विज्ञान) के पद पर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गिरीकुंडरा दूनगर, सिकराय, दौसा में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 18.09.2018 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रजवास, सिकराय, दौसा में बिना किसी प्रशासनिक कारण के किया गया है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी के द्वारा दिनांक 22.09.2022 को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया जिसका प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। अपीलार्थी का कथन है कि अपीलार्थी के निवास से विद्यालय 30 कि.मी. दूर है जिससे अपीलार्थी को आने–जाने में 1–2 घंटे का समय लगता है तथा अपीलार्थी की पत्नी कैंसर से पीड़ित है जिसकी देखभाल की जिम्मेदारी अपीलार्थी पर ही है। अपीलार्थी ने अपने स्थानान्तरण के सम्बन्ध में कभी कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया,

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 22.09.2022 का निस्तारण किए जाने का निर्देश देते हुए अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत रिक्त पदों पर नियुक्ति दिए जाने के आदेश दिए जावे।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अधिकारों को त्यागते हुये यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया गया। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी दो सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (speaking order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य